मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XVII अंक 7 अक्तूबर 2021

एमसीआईआर

आज़ादी का अमृत महोत्सव

विषयवस्तु

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1
II. विनियमन	2
III. सरकार का बैंकर	3
IV. रिज़र्व बैंक बुलेटिन	4
V. जारी आंकड़े	4

संपादक से नोट

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा अक्तूबर महीने के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके एक्सेस किया जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और जानकारी के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचना को साझा करने, प्रशिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. मौद्रिक नीति

एमपीसी का संकल्प

वर्तमान और उभरती समष्टिआर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 8 अक्तूबर 2021 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। तदनुसार, एलएएफ़ के तहत रिवर्स रेपो दर बिना किसी परिवर्तन के 3.35 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर बनी हुई हैं।

यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का भी निर्णय लिया। ये निर्णय संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य हासिल करने के अनुरूप है। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

i. चलनिधि उपाय

लघु वित्त बैंकों के लिए मांग पर विशेष दीर्घावधि रेपो परिचालन : –

लघु व्यवसाय इकाइयों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं पर महामारी की सतत असमान प्रभाव को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने लघु वित्त बैंक को रेपो दर पर ₹10,000 करोड़ की तीन वर्ष की विशेष दीर्घावधि रेपो परिचालन (एसएलटीआरओ) सुविधा 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ाई ताकि प्रति उधारकर्ता ₹10 लाख तक के नए ऋण दिये जा सके। इसके अलावा, यह अब यह मांग पर भी उपलब्ध होगा ताकि एसएफ़बी को अधिक समर्थन देना सुनिश्चित किया जा सके। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. भुगतान और निपटान प्रणाली

ए) ऑफलाइन माध्यम से डिजिटल भुगतान समाधान : –

रिज़र्व बैंक ने 06 अगस्त 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में दर्शाये अनुसार देश भर में ऑफलाइन मोड में खुदरा डिजिटल भुगतान करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने का प्रस्ताव रखा । देश के विभिन्न हिस्सों में इस योजना के तहत तीन प्रायोगिक को सफलतापूर्वक संचालित किया गया था, जिसमें ₹1.16 करोड़ मूल्य के 2.41 लाख की मात्रा को कवर करने वाले छोटे मूल्य के लेनदेन शामिल थे। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

बी) आईएमपीएस की लेन-देन की सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख करना: –

रिज़र्व बैंक ने एसएमएस और आईवीआरएस के अलावा प्रति लेनदेन सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने का प्रस्ताव रखा। इससे डिजिटल भुगतान में और वृद्धि होगी और ग्राहकों को ₹2 लाख से अधिक डिजिटल भुगतान करने के लिए अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेगी। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

सी) भुगतान प्रणाली स्पर्श बिन्दुओं (टच पॉइंट्स) की जियो-टैगिंग: –

देश भर में स्वीकृति अवसंरचना के संतुलित प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए और मौजूदा भुगतान स्वीकृति अवसंरचना के स्थान का पता लगाने के लिए रिज़र्व बैंक व्यापारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले भौतिक भुगतान स्वीकृति अवसंरचना, जैसे- बिक्री बिंदु (पीओएस) टर्मिनल, त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड की जियो-टैगिंग (भौगोलिक निर्देशांकों को कैप्चर करना - अर्थात लैटीट्यूड और लॉंगीट्यूड) के लिए एक ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव रखेगा । यह स्वीकृति अवसंरचना के बेहतर प्रसार और डिजिटल भुगतान तक व्यापक पहुंच के द्वारा पीआईडीएफ ढांचे का पूरक होगा। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

डी) विनियामक सैंडबॉक्स : –

फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने की दृष्टि से, चौथे कोहार्ट का विषय 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और शमन' होगा। धोखाधड़ी की घटना और पता लगाने के बीच अंतराल

को कम करने, धोखाधड़ी सुशासन संरचना को मजबूत करने और धोखाधड़ियों के लिए प्रतिक्रिया समय को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा, निरंतर नवाचार सुनिश्चित करने और तेजी से विकसित हो रहे फिनटेक परिदृश्य से सक्रिय प्रतिक्रिया के लिए रिज़र्व बैंक ने पहले बंद किए गए कोहार्ट के विषयों यथा 'खुदरा भुगतान', 'समुद्र पारीय भुगतान' और 'एमएसएमई उधार' के लिए 'मांग पर' आवेदन को सुविधाजनक बनाने का प्रस्ताव रखा। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. ऋण-प्रबंधन

राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमाओं की समीक्षा और ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा में छूट: –

सतत जारी महामारी से संबंधित अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने ₹51,560 करोड़ की बढ़ी हुई डब्ल्यूएमए सीमा 31 मार्च 2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अपने नकदी प्रवाह को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करने के लिए रिज़र्व बैंक ने महामारी से निपटने के लिए शुरू किए गए उदारीकृत उपायों को जारी रखने का निर्णय लिया है, अर्थात 31 मार्च 2022 तक, एक तिमाही में ओवरड्राफ्ट (ओडी) के दिनों की अधिकतम संख्या को 36 से 50 दिनों तक और ओडी के लगातार दिनों की संख्या को 14 से 21 दिनों तक बढ़ाना। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. वित्तीय समावेशन और ग्राहक संरक्षण

ए) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार - बैंकों को एनबीएफसी के माध्यम से आगे उधार देने की अनुमति देना : -

अर्थव्यवस्था के कम सेवा प्राप्त / सेवा नहीं प्राप्त करने वाले क्षेत्रों को ऋण वितरण में देखे गए बढ़े संकर्षण को ध्यान में रखते हुए, इस सुविधा को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

बी) एनबीएफसी के लिए आंतरिक लोकपाल: -

एनबीएफसी के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को और मजबूत करने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने उच्च ग्राहक इंटरफेस वाली एनबीएफसी की कुछ श्रेणियों के लिए आंतरिक लोकपाल योजना (आईओएस) शुरू करने का निर्णय लिया है। एनबीएफसी के लिए आईओएस, जो बैंकों और गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों के लिए आईओएस की तर्ज पर होगा, के लिए ग्राहकों की शिकायतों, जो सेवा में कमी की प्रकृति का और एनबीएफसी द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से खारिज कर दिये गए हों, की जांच करने हेतु कुछ चुनिंदा एनबीएफ़सी को अपने आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के शीर्ष पर एक आंतरिक लोकपाल (आईओ) नियुक्त करने की आवश्यकता होगी। । इस संबंध में विस्तृत निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एमपीसी बैठक के कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की एकतीसवीं बैठक 6 से 8 अक्तूबर 2021 के दौरान आयोजित की गई थी। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अनुसार, रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति समिति की प्रत्येक बैठक के चौदहवें दिन इस बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त प्रकाशित करेगा। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

II. विनियमन

बैंक द्वारा चालू खाते खोलना

रिज़र्व बैंक ने 29 अक्तूबर 2021 को बैंकों को उन उधारकर्ताओं के लिए चालू खाते खोलने की अनुमति दी, जिन्होंने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार बैंकिंग प्रणाली से नकद ऋण (सीसी)/ओवरड्राफ्ट (ओडी) के रूप में ऋण सुविधाएं प्राप्त की हैं:

i) उधारकर्ताओं के लिए, जहां बैंकिंग प्रणाली का एक्सपोजर ₹5 करोड़ से कम है, बैंकों द्वारा चालू खाता खोलने या सीसी/ओडी सुविधा के प्रावधान पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते ऐसे उधारकर्ताओं से एक वचनबद्धता प्राप्त की जाए कि, जब भी उनके द्वारा बैंकिंग प्रणाली से प्राप्त ऋण सुविधाएं ₹5 करोड़ या उससे अधिक तक पहुंच जाएगी, वे बैंक (बैंकों) को सूचित करेंगे।

ii) ऐसे उधारकर्ताओं के संबंध में जहां बैंकिंग प्रणाली का एक्सपोजर ₹5 करोड़ या उससे अधिक है, ऐसे उधारकर्ता किसी भी एक बैंक के साथ चालू खाता रख सकते हैं, जिसके पास सीसी/ओडी की सुविधा है, बशर्ते कि बैंक के पास उस उधारकर्ता के लिए बैंकिंग प्रणाली के एक्सपोजर का कम से कम 10 प्रतिशत हो।

रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया कि बैंकिंग प्रणाली से सीसी/ओडी सुविधा का लाभ नहीं उठाने वाले उधारकर्ता मौजूदा विनियमों के पैरा 1(v) के अनुसार चालू खाते बनाए रखना जारी रखेंगे। अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 अक्तूबर 2021 को दिनांक 22 अक्तूबर 2015 के स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 के मास्टर निदेश को तत्काल प्रभाव से संशोधित किया। मास्टर निदेश पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता

रिज़र्व बैंक ने 26 अक्तूबर 2021 को स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता पर मास्टर निदेश (निदेश), 2021 जारी किया ताकि स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को एक ही स्थान पर वर्तमान निदेश प्राप्त हो। मास्टर निदेश पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

एनबीएफसी के लिए एसबीआर ढांचा

रिज़र्व बैंक ने 22 अक्तूबर 2021 को, दिनांक 22 जनवरी 2021 को जारी चर्चा पत्र पर जनता से प्राप्त इनपुट के आधार पर सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए एक स्केल-आधारित विनियामक (एसबीआर) ढांचा तैयार किया। एसबीआर ढांचे में पूंजी आवश्यकताओं, सुशासन मानकों और विवेकपूर्ण विनियमन को शामिल करते हुए एनबीएफसी के विनियमन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। ये दिशानिर्देश 1 अक्तूबर 2022 से प्रभावी होंगे। अनुबंध के पैरा 3.1 (डी) के तहत दिए गए आईपीओ फंडिंग पर उच्चतम सीमा से संबंधित निदेश 01 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगे। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

एआईएफआई के लिए विवेकपूर्ण विनियमन-2021

रिज़र्व बैंक ने 22 अक्तूबर 2021 को चार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) अर्थात् एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी के लिए बेसल III पूंजी ढांचे को लागू

करने के लिए मसौदा निदेश जारी किए। उक्त निदेशों में, इन संस्थानों को जारी किए गए एक्सपोजर मानदंड, वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों के संचालन और संसाधन जुटाने के मानदंडों पर वर्तमान निदेशों को समेकित और उपयुक्त संशोधन भी शामिल हैं। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने सहायक कंपनियों, वित्तीय सेवा कंपनियों और गैर-वित्तीय सेवा कंपनियों में एआईएफआई द्वारा निवेश की सीमा को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया है। मसौदा निदेश पर टिप्पणियां 30 नवंबर 2021तक आमंत्रित की जाती हैं। अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना

रिज़र्व बैंक ने 22 अक्तूबर 2021 को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना पर सभी प्राप्तकर्ता कार्यालयों, बीएसई/एनएसई और डिपॉजिटरी के लिए समेकित प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश जारी किए, जो अब तक जारी सभी परिचालन/प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों का स्थान ले रहे हैं। रिज़र्व बैंक ने अब तक जारी निर्देशों के साथ बांडों की सर्विसिंग के लिए लागू नियमों और विनियमों को भी अद्यतन किया है। इन बांडों की सर्विसिंग का कार्य करने के दौरान सभी प्राप्तकर्ता कार्यालयों को इन निर्देशों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

ऋण सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु फॉर्मेट

रिज़र्व बैंक ने 22 अक्तूबर 2021 को क्रेडिट संस्थानों (सीआई) द्वारा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों (सीआईसी) को एक समान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप के तहत अब से रिलेशनशिप सेगमेंट (आरएस) डेटा की अनिवार्य रिपोर्टिंग करने का निर्णय किया है। रिज़र्व बैंक ने पाया कि सीआईसी के डेटाबेस में आरएस (रिलेशनशिप सेगमेंट) के विवरण की संख्या कम है। बाधारहित तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, रिपोर्टिंग आवश्यकता को नीचे बताए अनुसार अवधिकाल में विभाजित किया जा सकता है:

i) 1 जुलाई 2022 के बाद खोले गए नए ऋण खातों के संबंध में रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी।

ii) पूर्व के डेटा की रिपोर्टिंग के लिए चरणबद्ध तरीके से नीचे दिये गए विवरण का पालन किया जाएगा:

ए) 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 अवधि के दौरान खोले गए खातों को 1 जनवरी 2023 तक अद्यतन करना होगा।

बी) पिछले तीन वर्ष 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2021 में खोले गए खातों को 1 जुलाई 2023 तक अद्यतन करना होगा।

सी) तकनीकी कार्य समूह द्वारा पूर्व के शेष बचे डेटा की रिपोर्टिंग के लिए समय-सीमा की समीक्षा की जाएगी और तदनुसार सीआई को यथासमय सूचित किया जाएगा ।

रिज़र्व बैंक ने सभी सीआई को सूचित किया कि वे निर्धारित समय-सीमा के अनुसार सीआईसी को पूर्वोक्त सूचना की रिपोर्ट करना शुरू करें। अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

दूसरी अनुसूची में शामिल करना

रिज़र्व बैंक ने 7 अक्तूबर 2021 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को 06 सितंबर 2021 की अधिसूचना द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया और दिनांक 2 अक्तूबर - 8 अक्तूबर 2021 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित किया। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में पीडीआई

रिज़र्व बैंक ने 1 अक्तूबर 2021 को 1 जुलाई 2015 के 'बासेल III पूंजी विनियमन' पर जारी मास्टर परिपत्र के अनुसार विदेशी मुद्रा में शस्वत कर्ज लिखत (पीडीआई) जारी करने के उद्देश्य से "पात्र राशि" पर स्पष्टीकरण जारी किया। पीडीआई जारी करने के उद्देश्य के लिए पात्र राशि का अर्थ निम्नलिखित में से उच्चतम से होगा:

i) जोखिम भारित आस्तियों (आरडबल्यूए) का 1.5% और

ii) कुल अतिरिक्त टियर 1 पूंजी पिछले वित्त वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार।

उपरोक्त में संदर्भित "पात्र राशि" के 49% से अधिक राशि को विदेशी मुद्रा और/या विदेशों में रुपये मूल्य वाले बांड में जारी नहीं किए जा सकते हैं। मास्टर परिपत्र की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

पारिवारिक पेंशन में वृद्धि

रिज़र्व बैंक ने 4 अक्तूबर 2021 को 11वें द्विपक्षीय समझौते के तहत भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के सदस्य बैंकों की पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता के उपचार के लिए दिशानिर्देश जारी किए। ये बैंक इस विषय में निम्नलिखित कार्रवाई कर सकते हैं:

i) पारिवारिक पेंशन में वृद्धि की देयता को लागू लेखा मानकों के अनुसार पूरी तरह से मान्यता दी जानी चाहिए ।

ii) यदि यह व्यय, जिसे वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में लाभ और हानि खाते में पूरी तरह से प्रभारित नहीं किया जाता है, तो 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से अधिकतम पांच वर्षों की अवधि में परिशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि प्रत्येक वर्ष कुल राशि का कम से कम 1/5 भाग परिशोधित किया जाए।

iii) इस संबंध में अपनाई जाने वाली लेखा नीति का उचित प्रकटन वित्तीय विवरणों के लिए 'लेखांकन की टिप्पणी' में किया जाना चाहिए। 'लेखांकन की टिप्पणी'में परिशोधित व्यय की राशि का भी प्रकटन होना चाहिए। यदि परिशोधित व्यय को लाभ-हानि खाते में पूर्ण रूप से मान्यता दी गई होती, तो शुद्ध लाभ क्या होता, इसका भी प्रकटन किया जाना चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 को तदनुसार अद्यतन किया जाएगा। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

आईआरएसी और प्रावधानीकरण मानदंड

रिज़र्व बैंक ने 1 अक्तूबर 2021 को सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित मामलों पर समेकित निर्देशों के साथ एक मास्टर परिपत्र जारी किया। मास्टर परिपत्र पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

III. सरकार का बैंकर

एसजीएल और सीएसजीएल खाता दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने 9 अक्तूबर 2021 को सहायक सामान्य खाता-बही (एसजीएल) खाते और ग्राहकों की सहायक सामान्य खाता-बही (सीएसजीएल) खाते खोलने और रखरखाव के लिए संशोधित पात्रता मानदंड और परिचालन दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशा-निर्देश 29 अक्तूबर 2018 के पहले के दिशानिर्देशों के अधिक्रमण में जारी किए गए हैं। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

सरकारी प्रतिभूतियों का वीएफटी - दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने 05 अक्तूबर 2021 को दिनांक 22 सितंबर 2021 की अधिसूचनाओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर पहले जारी किए गए निर्देशों का अधिक्रमण करते हुए सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य मुक्त हस्तांतरण (वीएफटी) पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश सरकारी प्रतिभूतियों के वीएफटी को और कारगर बनाएंगे। अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

IV. आरबीआई बुलेटिन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 18 अक्तूबर 2021 को अपने मासिक बुलेटिन जारी किया। बुलेटिन में गवर्नर का वक्तव्य, मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 6-8 अक्टूबर 2021, मौद्रिक नीति रिपोर्ट - अक्टूबर 2021, पाँच भाषण, पाँच आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। पाँच आलेख इस प्रकार हैं:

i) अर्थव्यवस्था की स्थिति

बढ़ते वैश्विक जोखिमों के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है, हालांकि समुत्थान (रिकवरी) असमान है और मुश्किल से धीरे-धीरे बढ़ रहा है। टीकाकरण में तेजी, नए मामलों/मृत्यु दर में कमी और आवाजाही को सामान्य करने से आत्मविश्वास फिर से पैदा हुआ है। खरीफ कृषि उत्पादन के मजबूत प्रदर्शन और विनिर्माण एवं सेवाओं की बहाली से घरेलू मांग में मजबूती आ रही है और दूसरी ओर कुल आपूर्ति की स्थिति में सुधार हो रहा है। अपेक्षा से अधिक नरम खाद्य कीमतों ने हेडलाइन मुद्रास्फीति को घटा कर लक्ष्य के अधिक समीप ला दिया है।

ii) क्या वित्तीय स्थिरता मौद्रिक नीति का एक लक्ष्य होना चाहिए? भारत से साक्ष्य

साहित्य इस बात पर विभाजित है कि क्या मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण वाले केंद्रीय बैंक वित्तीय स्थिरता को एक 'स्पष्ट' नीतिगत लक्ष्य के रूप में अपनाएं। वर्तमान आलेख में भारतीय संदर्भ में इस प्रश्न का प्रायोगिक मूल्यांकन किया गया है जहाँ वित्तीय स्थिरता मौद्रिक नीति का एक 'स्पष्ट' लक्ष्य नहीं है, लेकिन दोनों लक्ष्यों को एक साथ साधने के लिए समष्टि-विवेकपूर्ण नीतियां और ब्याज दर निर्णयों का समन्वय किया जाता है। इस आलेख में, आवास, वाणिज्यिक अचल संपत्ति (सीआरई), उपभोक्ता ऋण और पूँजी बाजार जोखिम; ऋण की तुलना में मूल्य (एलटीवी) अनुपात और नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में मानक आस्तियों के लिए जोखिम भार और प्रावधान का प्रयोग करते हुए एक समग्र समष्टि-विवेकपूर्ण नीति (मैक्रोप्रूडेंशियल पॉलिसी) सूचकांक (एमपीपी) का निर्माण किया गया है।

जून 1997 से मार्च 2020 की अवधि के लिए व्यापक आर्थिक चरों का उपयोग करते हुए एक प्रायोगिक विश्लेषण से पता चलता है कि मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति और व्यापार चक्रों पर प्रभाव डालती तो जरूर है, लेकिन साथ ही, वित्तीय चक्रों को तीव्रता से प्रभावित नहीं करती है। वित्तीय चक्र ऋण (क्रेडिट) चक्रों से प्रभावित होते हैं, जो बदले में समष्टि-विवेकपूर्ण नीतियों से प्रभावित होते हैं। एमपीपी इंडेक्स को रिपो रेट के साथ रखने से पता चलता है कि भारत में समष्टि-विवेकपूर्ण नीतियां आम तौर पर मौद्रिक नीति के अनुरूप विकसित हुई हैं। लेख का निष्कर्ष है कि लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफ़आईटी) को अपनाने के बाद भी, मौद्रिक और समष्टि-विवेकपूर्ण नीतियों के समन्वित प्रयोग की पद्धति से अर्थव्यवस्था में अच्छा लाभ मिला है।

iii) भौतिक पूँजी पर प्रतिलाभ: फर्म स्तर के डेटा से सबक

उत्पादन में भौतिक पूँजी की प्रमुख भूमिका के कारण भौतिक पूँजी पर प्रतिलाभ (आरओपीसी) विनिर्माण में कीमतों के निर्धारण को मापने का एक महत्वपूर्ण मैट्रिक है। यह अध्ययन वर्ष 2017-18 के लिए फर्म स्तर के उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) डेटा का उपयोग करके विभिन्न फर्म विशेषताओं जैसे आयु, स्थान, आकार, स्वामित्व के प्रकार, पूँजी गहनता और गतिविधि के प्रकार में औपचारिक विनिर्माण क्षेत्र में आरओपीसी में भिन्नता की पड़ताल करता है।

iv) नवीकरणीय ऊर्जा - मौन क्रांति

नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) ने भारत के एक बिजली अधिशेष वाला देश बनने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह आलेख भारत की वर्तमान बिजली बाजार संरचना और बिजली मुद्रास्फीति में आरई की भूमिका की जाँच करता है। प्रयोगिक विश्लेषण से पता चलता है कि आरई स्रोतों के लिए उत्पादन लागत में निरंतर गिरावट थोक बिक्री और अल्पकालिक बाजारों में बिजली दरों पर अधोमुखी दबाव डाल रही है। इसका तर्क है कि एक अधिक हरित और कम लागत वाली अर्थव्यवस्था के लिए आरई के आश्वासनों के आरई विकास में हुई प्रगति की संभावना को साकार करने के लिए क्रॉस-सब्सिडी पर अंकुश, विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को पेश आ रही वित्तीय समस्या के त्वरित समाधान, विकेन्द्रीकृत उत्पादन व वितरण को बढ़ावा देने तथा नवोन्मेष के लिए एक वातावरण बनाने और हरित प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाने पर केंद्रित महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन आवश्यक है।

v) निम्न प्रतिफल परिवेश और विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन

यह आलेख सांकेतिक प्रतिफल में गिरावट की प्रवृत्ति के प्रमुख चालकों और विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के पारंपरिक तरीकों से परे देखने की संभावना पर प्रकाश डालता है, ताकि सुरक्षा और चलनिधि के लक्ष्यों को कमतर किए बिना पोर्टफोलियो प्रतिफल को बढ़ाया जा सके। कृपया बुलेटिन पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

VII. जारी आंकड़े

अक्तूबर 2021 माह में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं:

	शीर्ष
1	विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन संबंधी 37वीं छमाही रिपोर्ट: अप्रैल-सितंबर, 2021
2	भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण पर मूल सांख्यिकीय विवरणी - मार्च 2021
3	भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग संबंधी सर्वेक्षण: 2019-2021
4	विनिर्माण क्षेत्र पर ओबीआईसीयूएस सर्वेक्षण:ति1:2021-22
5	विनिर्माण क्षेत्र का औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण: ति2:2021-22
6	बैंक ऋण सर्वेक्षण: ति2:2021-22
7	सेवाएं और आधारभूत संरचना आउटलुक सर्वेक्षण:ति2:2021-11

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।